न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः—श्री बी0एल0मेहरड़ा, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—205/2019/223 (2019/00205)

1. श्रीमती नैनी पत्नि स्व0 मोहनलाल,
2. सोहनलाल पुत्र स्व0 मोहनलाल,
3. चांदमल पुत्र स्व0 मोहनलाल,
4. देवीलाल पुत्र स्व0 मोहनलाल,
5. लालचंद पुत्र स्व0 मोहनलाल (मृतक) जरिये वारिसानः—
   5/1— श्रीमती सन्तोष पत्नि लालचंद,
   5/2— सुनील पुत्र लालचंद,
   5/3— अनिल पुत्र लालचंद,
6. राजू पुत्र मोहनलाल,
7. सुरेन्द्र पुत्र मोहनलाल,
   समस्त जाति माली, निवासीगण सांखला कॉलोनी, मसूदा रोड़, ब्यावर, जिला अजमेर ।
8. श्रीमती प्रेमदेवी पत्नि रामपाल पुत्री मोहनलाल, जाति माली, नि0 ब्यावर, जिला अजमेर ।
9. श्रीमती पुष्पादेवी पत्नि प्रभूलाल पुत्री मोहनलाल, जाति माली, निवासी ब्यावर, जिला अजमेर ।
10. लालचंद पुत्र चांदमल, जाति माली, निवासी सांखला कॉलोनी, मसूदा रोड़, ब्यावर,तह0 ब्यावर, जिला अजमेर बहैसियत स्वंय एवं मुख्तयारआम अपीलांट संख्या 1 लगायत 9.

अपीलांटस

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये जिला कलक्टर, अजमेर ।
2. तहसीलदार, ब्यावर, जिला अजमेर ।

रेस्पोडेंटस

3. श्रीमती संतोष पत्नि रामेश्वर,
4. श्रीमती हेमा पुत्री रामेश्वर,
5. श्रीमती गोरी पुत्री रामेश्वर,
6. श्रीमती राजकुमारी पुत्री रामेश्वर,
   समस्त जाति माली, निवासी मसूदा रोड़, ब्यावर, जिला अजमेर ।

प्रफोर्मा रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध निर्णय विद्वान उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर, ब्यावर दिनांक 22.5.2019 अंतर्गत वाद संख्या 4/2015 (पुराना 117/2013).

उपस्थितः—

1. श्री महेन्द्रसिंह चौहान, वकील अपीलांटस ।
2. श्री धर्मवीर चौधरी, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 1 व 2.
3. श्री कौशलसिंह जौधा, वकील रेस्पो0 संख्या 3 से 6.

निर्णय

दिनांकः— 21.1.2020

1. यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर, ब्यावर के निर्णय दिनांक 22.5.2019 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है ।

2. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण/अपीलांटस ने अधी0न्याया0 में वाद अंतर्गत 88 राज0काश्त0अधि0 एवं धारा 136 राज0भू—राजव अधि0 1956 के तहत विरूद्ध प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 के पेश कर निवेदन किया कि ग्राम गढ़ी थोरियान पटवार हल्का बलाल, तहसील ब्यावर में अवस्थित खसरा नंबर 164 नया खसरा नंबर 224 रकबा 15 बिस्वा किस्म दांती विद्यमान चली आ रही है जिस पर वादीगण संख्या 1 लगायत 9 तथा तरतीबी रेस्पो0 संख्या 3 लगायत 6 के पूर्वज मोहनलाल पुत्र माधू बतौर रिकार्डेड खातेदार काश्तकार काबिज काश्त चले आ रहे है तथा 1349 सन् फसली तत्पश्चात् राज0काश्त0अधि0 1955 के प्रभाव में आने के पश्चात् राजस्व कर्मचारियों द्वारा मुर्तिब जमाबंदी संवत् 2020 से 2023 एवं 2024 से 2027 में वादीगण के पूर्वज मोहनलाल पुत्र माधू बतौर रिकार्डेड खातेदार काश्तकार के रूप में दर्ज चले आ रहे है । वादीगण के पूर्वज मोहनलाल के निधन के पश्चात् वर्तमान में वादग्रस्त आराजी बाबत् वादीगण निरन्तर रूप से काबिज काश्त चले आ रहे है किन्तु बंदोबस्त विभाग द्वारा चौसाला जमाबंदी से आधारभूत जमाबंदी बनाते समय वादग्रस्त आराजी खसरा नंबर 164 रकबा 15 बिस्वा किस्म दांती के नये खसरा नंबर 224 रकबा 13 बिस्वा 10 बिस्वांसी बनाकर वादीगण के पूर्वज मोहनलाल पुत्र माधू की खातेदारी/काश्तकारी की आराजी को बिना किसी सक्षम अधिकारी/न्यायालय के आदेशों के त्रुटिवश सरकारी सिवायचक दर्ज कर रकबे को 15 बिस्वा से कम कर 13 बिस्वा 10 बिस्वांसी कर दिया जिसकी दुरूस्ती हेतु वाद पेश किया गया था । अधी0न्याया0 ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 30.5.2014 द्वारा वादीगण/अपीलांटस का वाद निरस्त कर दिया । अधी0न्याया0 के इस निर्णय व डिक्री के विरूद्ध अपीलांटस द्वारा हाजा न्यायालय के समक्ष प्रथम अपील पेश की गई जो हाजा न्यायालय के निर्णय दिनांक 12.12.2014 द्वारा अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर प्रकरण अधी0न्याया0 को प्रतिप्रेषित किया गया । प्रकरण रिमाण्ड से प्राप्त होने पर अधी0न्याया0 ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 22.5.2019 द्वारा वादीगण/अपीलांटस का वाद खारिज कर दिया । अधी0न्याया0 के इस निर्णय से असंतुष्ट होकर अपीलांटस ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की है।

3. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को तलब किया गया । रेस्पो0 संख्या 1 व 2 राजकीय अधिवक्ता उपस्थित । अधी0न्याया0 का रिकार्ड प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

4. विद्वान वकील अपीलांटस ने लिखित बहस पेश कर कथन किया कि विद्वान अधी0न्याया0 का निर्णय न्याय, नियम एवं रिकार्ड के विपरीत होने से निरस्तनीय है । वादीगण के पूर्वज मोहनलाल पुत्र माधू की खातेदारी काश्तकारी की आराजी चौसाला खसरा नंबर 164 वर्किंग खसरा नंबर 224 ग्राम गढ़ी थोरियान, तह0 ब्यावर में स्थित है जिस पर मोहनलाल पुत्र माधू तथा उनकी मृत्यु उपरांत अपीलांटस का निरन्तर कब्जा काश्त चला आ रहा है । विवादित आराजी खसरा नंबर 164 रकबा 1 बीघा 3 बिस्वा 10 बिस्वांसी को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से मोहन पुत्र माधू ने दिनांक 21.3.1959 को क्रय कर लिया गया तथा उक्त दिनांक के पश्चात्

से ही मोहन पुत्र माधू उक्त आराजियात के रिकार्डेड खातेदार काश्तकार के रूप में काबिज काश्त चले आ रहे है तथा राजस्व कर्मचारियों द्वारा तैयार चौसाला जमाबंदी संवत् 2020 से 2023 तथा 2024 से 2027 में भी वादग्रस्त आराजी के खातेदार काश्तकार मोहन पुत्र माधू ही बतौर रिकार्डेड खातेदार काश्तकार के रूप में दर्ज चले आ रहे है । खसरा गिरदावरी संवत् 2017 से 2020 में भी मोहन का नाम वादग्रस्त आराजी बाबत् अंकित है । दौराने बंदोबस्त सेटलमेंट विभाग द्वारा चौसाला जमाबंदी से वर्किंग जमाबंदी तैयार करते समय वादग्रस्त आराजी खसरा नंबर 164 रकबा 1 बीघा 3 बिस्वा 10 बिस्वांसी के नये खसरा नंबर 224 रकबा 13 बिस्वा 10 बिस्वांसी, खसरा नंबर 223 रकबा 2 बिस्वा, खसरा नंबर 225 रकबा 8 बिस्वा बनाये गये किन्तु सहवन से खसरा नंबर 224 रकबा 13 बिस्वा 10 बिस्वांसी को बिना किसी सक्षम अधिकारी के आदेश के सिवायचक दर्ज कर दिया गया जबकि बंदोबस्त विभाग को पूर्व इंद्राज परिवर्तन का अधिकार नहीं था । विद्वान वकील अपीलांटस ने बहस को आगे बढ़ाते हुए कथन किया कि विवादित आराजी बाबत् प्रतिवादी संख्या 1 राज0 सरकार द्वारा उक्त वाद का जवाबदावा प्रस्तुत किया जिसमें भी उन्होंने समस्त दस्तावेजो का अवलोकन कर स्पष्ट रूप से अंकित किया है कि खसरा नंबर 164 से बने हाल खसरा नंबर 224 रकबा 13 बिस्वा 10 बिस्वांसी के अंतिम चौसाला जमाबंदी में मोहन पुत्र माधू कौम माली खातेदार, काश्तकार के रूप में दर्ज है तथा बंदोबस्त विभाग द्वारा सहवन से उक्त खसरा नंबर सिवायचक दर्ज किया गया है । साथ ही विवादित आराजी पर मोहन पुत्र माधू के वारिसान के कब्जे की भी ताईद की है । इसके बावजूद अधी0न्याया0 ने प्रतिवादी संख्या 1 के जवाबदावे के परे जाकर वादीगण का वाद खारिज करने में त्रुटि कारित की है । बहस में आगे कथन किया कि विवादित आराजी बाबत् मौका रिपोर्ट तलब की गई जिसके अनुसार भी विवादित भूमि पर कब्जा काश्त अपीलांटस का ही अंकित किया गया है । अधी0न्याया0 ने हाजा न्यायालय द्वारा निर्णय में दिये गये निर्देशों की पालना नहीं कर केवल मात्र एक तनकी कायम कर वादीगण का वाद यह कहते हुए खारिज किया है कि उक्त आराजियात के विक्रेता महाजन अतिक्रमी रहे है न कि मालिक व खातेदार तो उनके द्वारा वादग्रस्त आराजी का बेचान नहीं किया जा सकता था जबकि वास्तविकता यह है कि वादग्रस्त आराजियात के खातेदार उक्त विक्रेता महाजन ही थे जिसका उल्लेख प्रदर्श 4 जमाबंदी संवत् 1350 फसली से स्पष्ट होता है । अधी0न्याया0 ने पत्रावली पर उपलब्ध संपूर्ण दस्तावेजी साक्ष्यों को नजरअंदाज कर वादीगण का वाद निरस्त करने में त्रुटि कारित की है । अतः अपील अपीलांटस स्वीकार कर अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री निरस्त की जावे तथा वादीगण/अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत वाद डिक्री किया जावे । विद्वान वकील अपीलांटस ने अपने कथनों के समर्थन में आर0आर0टी0 2018–19 सप्लीमेंट्री पेज 505 का न्यायिक दृष्टांत उद्धरित किया ।

5. विद्वान राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 1 एवं 2 ने बहस में कथन किया कि अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री विधिसम्मत् है । अतः अपील अपीलांटस निरस्त की जावे ।

6. विद्वान वकील रेस्पो0 संख्या 3 से 6 ने अपीलांट की बहस का समर्थन करते हुए अपील स्वीकार करने का निवेदन किया ।

7. हमनें उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया । अधी0न्याया0 के समक्ष वादीगण द्वारा ग्राम गढ़ी थोरियान स्थित साबिक खसरा नंबर 164 का नया खसरा नंबर 224 रकबा 15 बिस्वा के संबंध में खातेदारी उद्घोषणा का वाद प्रस्तुत किया गया । वाद के समर्थन में प्रदर्श 6 चौसाला जमाबंदी संवत् 2020 से 2023 प्रस्तुत की जिसमें खसरा नंबर 164 रकबा

15 बिस्वा मोहन वल्द माधू माली के नाम खातेदारी दर्ज है । इसी प्रकार प्रदर्श–7 चौसाला जमाबंदी संवत् 2024 से 2027 में भी विवादित भूमि मोहन वल्द माधू की खातेदारी में अंकित है । पश्चात्वर्ती जमाबंदी में बिना अवाप्ति एवं बिना सक्षम अधिकारी के आदशों के विवादित आराजी सरकारी दर्ज की गई है । इस संबंध में विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने कोई ठोस साक्ष्य पेश नहीं की है कि खातेदारी भूमि किस आदेश व किस प्रकार खातेदारी से सिवायचक दर्ज की गई है । जबकि यह विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि भू–प्रबंध विभाग को पूर्ववर्ती इंद्राज को वर्तमान राजस्व अभिलेख में ज्यो–का–त्यों दोहराना चाहिये था जब तक कि सक्षम न्यायालय अथवा पंजीबद्ध हस्तारण पत्र अभिलेख पर उपलब्ध न हो। हस्तगत प्रकरण में खातेदारी भूमि को सिवायचक दर्ज करने के संबंध में कोई भी आदेश पत्रावली पर पेश नहीं किया गया है । प्रतिवादी राज0 सरकार जरिये तहसीलदार द्वारा भी अपने जवाब की चरण संख्या 6 में स्पष्ट रूप से कथन किया है कि विवादित भूमि संवत् 2020 से 2023 एवं संवत् 2024 से 2027 की जमाबंदी में मोहन पुत्र माधू माली की खातेदारी में अंकित है तथा यह भी अंकित किया है कि अंतिम चौसाला जमाबंदी के अंकन को वर्किंग एवं वर्तमान जमाबदी में दोहराना चाहिये एवं यह भी अंकित किया कि रिपोर्ट पटवारी व मौका पर्चा अनुसार विवादित भूमि पर पुराने समय से मोहन वल्द माधू माली का कब्जा चला आ रहा है । अधी0न्याया0 की पत्रावली पर उपलब्ध मौका पर्चा रिपोर्ट दिनांक 6.11.2013 में भी विवादित भूमि पर मोहन वल्द माधू का कब्जा पुराने समय से चला आना प्रमाणित है । प्रतिवादी तहसीलदार के जवाबदावे के अनुसार यह स्वीकृत स्थिति है कि चौसाला जमाबंदी में मोहन वल्द माधू माली के नाम विवादित भूमि खातेदारी से दर्ज रही है तथा वर्किंग व वर्तमान जमाबंदी में बिना किसी आधार एवं सक्षम न्यायालय के आदेशों के सिवायचक दर्ज किया जाना प्रकट होता है । मौके पर अपीलांटस का पुराने समय से कब्जा काश्त होना भी प्रमाणित है। उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलांटस स्वीकार योग्य तथा अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री निरस्त योग्य होकर वादीगण/अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत वाद डिक्री किये जाने योग्य पाया जाता है ।

8. अतः अपील स्वीकार की जाती है । विद्वान उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर, ब्यावर द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 22.5.2019 को निरस्त किया जाता है तथा वादीगण/अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत वाद डिक्री किया जाकर वादीगण/अपीलांटस एवं प्रफोर्मा रेस्पो0 संख्या 3 लगायत 6 को ग्राम थोरियान, तहसील ब्यावर जिला अजमेर के साबिक खसरा नंबर 164 नया खसरा नंबर 224 रकबा 13 बिस्वा 10 बिस्वांसी का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है । तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी हो । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

9. निर्णय आज दिनांक 21.1.2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर